

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

गुण 01/15 तारीख 22/10/15

उपनाम - समीपवानो बनाम काबूरवाँ को
दावा बाबत इस्त करार एक इन्डाज
दुकस्ती

वादी की ओर से श्री राम भरोसी गुप्ता Adv.
ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्डाज
दुकस्ती पेश किया। दस्तावेजों को अवलोकन
किया गया। दावा दर्ज रोजस्टर कर प्रोवादी को
को सम्मन से तलब कर पत्रावली दिनांक
22/10 को पेश हो।

108-10
10-2-15

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

20/15 वादी वकील उपरिभार। प्रतिवादी नम्बर
1 लगायत उही तामील परिवार जगो
कुई है। कोई उपरिभार नहीं। पबसाह्य
अग्रण पर पंचांग है। वासी कश्मीर
अपेक्षा दिनांक 23-3-15 को पेश हो।

23/15 वादी वकील उपना उलिनदी गणकी ओर से
श्री राजकुमार सिंह Adv. ने वकालतनामा
पेश किया। कस्ते जबब दावा दि. 22/10/15
को पेश हो।

(Signature)

सभीम को नो 1/5 का सु को नो
 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र.सं.	फर्द अहकाम	दिनांक
१२/१६	वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी अनुपम पन्थी है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक १०-१२-१६ को पेश हो। अरु	
१०/१६	वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी अनुपम पन्थी है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक १७-१-१७ को पेश हो। अरु	
१७/१७	वकुलाय उपस्थित / गतानुसार दिनांक २२-२-१७ को पेश हो।	
२२-२-१७	वकुलाय उपस्थित / अनुपम दि ७-३-१७ को पेश हो।	
७-३-१७	वकुलाय उपस्थित / गतानुसार को पेश करके दिनांक २०-३-१७ को पेश हो।	
२०-३-१७	वकुलाय उपस्थित / गतानुसार को पेश करके दिनांक २२-३-१७ को पेश हो।	
२२-३-१७	वादी वकील उपस्थित / वादी वकील ने कथन किया कि वादी मुकदमे को छोड़-चलाकर नहीं चाहते कि NOT Press में मुकदमा रखा रिज कर दिया जोष / वादी वकील के कथनानुसार NOT Press में दावा रखा रिज किया जाता है पत्रावली फंसल शुभा होकर निवासे कम होकर दारिद्र्य रूप हो।	Not Press अरु

उप जिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करौली)

दो इस पर वे इन्कार हो गये और कहा कि सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करो तब ही